जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़

(ब्लॉक–ए, ग्राउण्ड फ्लोर, विभागाध्यक्ष (इन्द्रावती) भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर)
(स्थापना शाखा, दूरभाष क्र0 0771–2511964, 2229404, 2511366, 2511956)

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर, दिनांक 12/07/2023

क्रमांक 3692/जसंसं/स्था0/पी–82/2023 जनसंपर्क संचालनालय स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर, जनसंपर्क संचालनालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक सूचना अधिकारी (सूचना सहायक ग्रेड–1) के पद पर पदस्थ निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके पदभार ग्रहण के दिनांक से सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4300 (सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान–अनुसूची–एक, वेतन लेवल–9 के वेतन मैट्रिक्स में मूल वेतन 38,100 से 1,20,400 तक) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष दर्शित नवीन पदस्थापना स्थान/कार्यालय में आगामी आदेश तक के लिए पद सहित पदस्थ किया जाता है –

क्र0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति के साथ नवीन पदस्थापना स्थान/ कार्यालय
1	श्री माखन लाल ध्रुव	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर(छ0ग0)	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर(छ0ग0)
2	श्री लल्लुदास मानिकपुरी	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर (छ0ग0 संवाद प्रतिनियुक्ति पर)	(छ0ग0 संवाद से प्रतिनियुक्ति वापस लेते हुए) जिला जनसंपर्क कार्यालय, कोरिया (छ0ग0)
3	श्री अनिल कुमार वर्मा	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर(छ0ग0)	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर(छ0ग0)
4	कु0 रचना मिश्रा	जिला जनसंपर्क कार्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)	जिला जनसंपर्क कार्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)
5	श्री ओम प्रकाश डहरिया	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर(छ0ग0)	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर(छ0ग0)
6	श्री अशोक चन्द्रवंशी	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर(छ0ग0)	जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर(छ0ग0)

2/ उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों में से किसी अधिकारी की वरिष्ठता अथवा न्यायालयीन प्रकरण में पदोन्नति की पात्रता हेतु यदि भविष्य में कोई निर्णय/आदेश होता है, तो संबंधित अधिकारी को पद के अभाव में पूर्व पद पर पदावनत किया जा सकेगा ।

3/ किसी अधिकारी द्वारा पदोन्नति से इन्कार किये जाने पर वरिष्ठता क्रम में उनके नाम के बाद अंकित संबंधित जाति–वर्ग के अधिकारी को पात्र पाये जाने पर पदोन्नत किया जा सकेगा ।

4/ यदि कोई अधिकारी किन्हीं कारणों से पूर्व से ही पदोन्नति के पद के वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हों, तो वेतन संरक्षण नियम के तहत उनका वेतन किसी प्रकार कम नहीं होगा ।

5/ पदोन्नत शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण के संबंध में पदोन्नति की आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा, जो अंतिम होगा तथा परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा ।

6/ पदोन्नत अधिकारियों की पदोन्नति से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी । पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठता का दावा मान्य नहीं होगा ।

7/ उपरोक्तानुसार नवीन पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने पर ही पदोन्नति मान्य की जाएगी ।

8/ यह प्रमाणित किया जाता है कि लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम–2003 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

9/ उक्त आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर में दायर याचिका **W.P(PIL)NO. 91/2019, S. Sntosh Kumar VS. State OF chhattisgarh. & other** एवं **W.P.(S) No. 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs. state of chhattisgarh & Others** में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पृ0क्र0 3693/जसंसं/स्था0/पी–82/2023 नवा रायपुर, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।

2– आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद, नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति पर नवीन पदस्थापना स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु भारमुक्त कर जनसंपर्क संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

4– कलेक्टर, जिला विलासपुर/कोरिया (छ0ग0) को सूचनार्थ।

5– अपर संचालक, स्थापना/समाचार/लेखा–वजट/आहरण–संविरण/विज्ञापन/संचार शाखा, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर/इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।